FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

आयुष वगैरह बनाम सुभाष वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. एवं सन 55/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
30-01-2023	प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का सार इसप्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वादगत भूमि को पुश्तैनी होना बताकर इसमें सभी प्रार्थीगण का मुताबिक हिन्दू उतराधिकार के अनुसार बाई बर्थ हक एवं हिस्सा होने के कारण प्रार्थीगण को अपने–अपने हिस्से की पुश्तैनी कृषि भूमि जिसमें प्रत्येक का 1/4 –1/4 हिस्सा निश्चित होने के कारण चक 4 डी छोटी का मु0नं0/खसरा नं0 36 में 4.3010 है0 का 1/2 हिस्सा 2.1505 हिस्सा हमारे दादा सुभाष के हिस्से में से प्रत्येक का 0.5376 है0 इसप्रकार प्रार्थीगण सं0 1, 3 का 1. 0752 है0 कृषि भूमि है तथा चक 24 बीडी ए का मु0नं0 75/13 की 0.7208 है0, 75/21 की 2.7694 है0, 75/29 की 0.2276 है0 कुल 3.7937 है0 का 1/2 हिस्सा 1.8968 है0 जिसमें से प्रार्थीगण के हिस्से कुल 0.9484 है0 भूमि है को अप्रार्थीगण आगे किसी को रहन बैय मुन्तकिल व ऐसा कोई अन्य कृत्य ना करें जिससे प्रार्थीगण के हितो पर विपरित असर पड़ता है। अप्रार्थी सं0 1, 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही कर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन के बाद न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा की मूल शर्त प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तिनीय क्षति को साबित करने में असफल रहा है। हक हिस्से का निर्धारण मूल दावे में तय होने है। इसलिए यह प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।	